फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री सोहनलाल **बनाम** **विपक्षी :– श्री रतनदास वगैरह**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ. **पत्रावली संख्या : 02/22**

जीसीएमएस : 2022/17

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	विविध

दिनांक : 07.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर एकतरफा बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 1480/935 जिसके साबिक आराजी नम्बर 935 पर 40 वर्षो से निरन्तर निर्बाध कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग मुझ प्रार्थ्ज्ञी का चला आ रहा है। मुझ प्रार्थी का कब्जा काश्त होने की वजह से उक्त भूमि को मुझ प्रार्थी के नाम आवंटन किये जाने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की लेकिन विपक्षी संख्या 1 धोखाधड़ी कर पत्रावली में कटिंग करवाकर अपने नाम का अंकन करवा दिया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि पत्रावली में प्रस्तुत आवंटन आदेश अनुसार वादग्रस्त अनुसार वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 रतनदास पिता अम्बादास को गैर खातेदारी हक से आवंटन की गई है तथा वर्तमान में उक्त भूमि खातेदार हक से विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि सक्षम आदेश से विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होकर विपक्षी संख्या 1 रिकॉर्डे खातेदार है। प्रार्थी खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होकर विपक्षीगण के पक्ष में साबित होता है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:40:07 IST
Reason: SelfAttested